

SILK INDUSTRY IN CHHATTISGARH-SELF-RELIANT WOMEN

छत्तीसगढ़ में रेशम उद्योग-आत्मनिर्भर महिलाएँ

S.K. Srivastava¹, Priyanka Udasi²

¹ Research Director, Assistant Professor, Mahant Laxminarayan Das College, Raipur, Chhattisgarh, India

² Research Scholar, Mahant Laxminarayan Das College, Raipur, Chhattisgarh, India



ABSTRACT

English: Cocoon industry plays an important role in promoting women employment in rural areas of Chhattisgarh. Economic development of women is considered important for the prosperity of the society. Cocoon is a forest based industry. Women play a role in all the works from the production of cocoons in the landscape to the forest area to the production of silk. The participation of women in every work of this institutional industry has emerged as a very wide and special workforce, along with the activism of women, the standard of living of their families has increased and the revenue of the government has increased. One of the main reasons for the economic badminton of Chhattisgarh is the lack of prominence in its factors, problems of cultivation of raw materials and mainly the lack of contribution of women statistics etc.

The aim of the research is to analyse the problems of these industries and study the role of the government in eliminating them. From screening of women in handloom industry (silk industry) to development of understanding of circular discipline in the family and compilation of optimum vision of skill integration in the support group, the main elements of the research are.

Hindi: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार हेतु कोसा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिलाओं के आर्थिक विकास को समाज की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। कोसा वन आधारित उद्योग है। भौगोलिक दृष्टि से वनांचल क्षेत्रों में कोकुन की उपज से लेकर रेशम निर्माण के सभी कार्यों में महिलाओं की सशक्त भूमिका है। इस कुटीर उद्योग के प्रत्येक कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी अत्यन्त प्रभावशाली एवं विशिष्ट कार्यबल के रूप में उभरी है, महिलाओं की सक्रियता के फलस्वरूप इनके परिवार का जीवन स्तर ऊँचा हुआ है एवं शासन के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों में से एक कारण धीमा औद्योगिक विकास है, इसके कारकों में आधारभूत संरचनाओं की कमी, कच्चे माल की उपलब्धता की समस्याएँ एवं मुख्यतः महिला श्रमिकों के योगदान का अभाव आदि है। इन समस्याओं के निराकरण की सम्भावनाओं का विश्लेषण कर उन्हें दूर करने में सरकार की भूमिका का अध्ययन करना शोध का लक्ष्य है। हाथकरघा उद्योग (रेशम उद्योग) में महिलाओं की सहभागिता से परिवारों में वृत्तीय अनुशासन की समझ का विकास एवं सहायता समूह में संगठनात्मक कलेवर की अनुकूलतम दृष्टि का सर्वाधिक कथन शोध का प्रमुख तत्व है।

Keywords: Self-Reliance, Family-Related Specialization, Women's Organization, Employment Generation महिला आत्मनिर्भरता, पारिवारिक वृत्तीय अनुशासन, महिला संगठन, रोजगार सृजन

DOI

10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.5609

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.



1. प्रस्तावना

भारत में रेशम उद्योग का विकास महिलाओं की भागीदारी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और रेशम उत्पादन की महिलाओं के, महिलाओं के लिये एवं महिलाओं द्वारा अपनाये जाने वाले पेशे के रूप में माना जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों के जरिये रेशम उद्योग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये अनेक कदम उठाए हैं।

कृषि क्षेत्र में स्त्री पुरुष अनुपात पर किये गये कई अध्ययनों से साबित हुआ है कि भूमि तैयार करने से लेकर विपणन तक के सभी कार्यों में निर्णय लेने से उनकी भागीदारी होने के बावजूद कृषि आधारित कार्यकलापों में निर्णय लेने में वे पिछड़ जाती हैं। सामाजिक रीतिरिवाजों और परम्पराओं के नाम पर उनके सामने उपस्थित समस्याओं के कारण यह स्थिति बनी हुई है।

रेशम ऊँचे दाम किन्तु कम मात्रा का एक उत्पाद है जो विश्व के कुल वस्त्र उत्पादन का मात्र 0.2 प्रतिशत है, चूंकि रेशम का उत्पादन एक श्रम आधारित उच्च आय देने वाला उद्योग है तथा इसके उत्पाद के अधिक मूल्य मिलते हैं अतः इसे देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है। विकासशील देशों में रोजगार सृजन हेतु खासतौर पर मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिये आय सृजन करने का यह एक आदर्श उद्योग है।

2. उद्देश्य

1. रेशम उद्योग में महिलाओं की प्रतिभा प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना ।
2. रेशम उद्योग क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का अध्ययन करना ।
3. इस घरेलू उद्योग से महिलाओं को प्राप्त आय का अध्ययन करना ।

3. रेशम उद्योग में महिलाओं की भूमिका

रेशम उद्योग का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने पर रेशम उत्पादन विकास में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। रेशम उद्योग में गरीबों को स्थायी आय प्राप्त होती है, रोजगार का अवसर मिलता है, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्रदान करता है और उन्हें स्वतंत्र बनाता है। विश्लेषण के अनुसार कोसा निर्माण कोसा पूर्व और कोसोत्तर कार्यालयों में महिलाओं की भूमिका 60: है।

भारत में एक लाख हेक्टेयर भूमि में शहतूत कृषि की जा रही है। तीन दक्षिणी राज्यों तथा कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में लगभग 5-6 लाख लोग कृषि कार्य में लगे हुये हैं। यह एक श्रम प्रधान उद्योग है। प्रति किलोग्राम कच्चा रेशम उत्पादित करने में 11 व्यक्ति को रोजगार मिलता है, जिसमें से 6 से अधिक क्रमिक महिलाएं होती हैं। 60 लाख श्रमिकों में 35-50 लाख महिलाएं हैं।

संसार का सबसे बड़ा रेशम उत्पादन राष्ट्र भारत को रेशम के चारों किस्मों तथा शहतूत, तसर, एरी, मुंगा के उत्पादन का गौरव प्राप्त है। कुल उत्पादित 95: रेशम में 89: शहतूत रेशम है। भारत के सभी राज्यों में रेशम उत्पादित किये जाते हैं, लेकिन 50: रेशम उत्पादित करते हुये कर्नाटक राज्य इसमें अग्रणी है, जिसे भारत का रेशम कटोरा माना जाता है ।

महिलाओं के लिये लाभकर रोजगार सृजित करने के अलावा खतरा रहित होने के कारण उनके लिये अच्छा विकास का अच्छा माध्यम है, इसलिये इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रेशम उद्योग में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। गोद लिये गावों में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिये महिलाओं पर भी अध्ययन किया गया। अन्य क्षेत्रों में भी उदाहरण स्वस्थ, इसका उल्लेख किया जा सकता है।

रेशम उद्योग क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर विचार करते समय उनकी भागीदारी में बाधा डालने वाली बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इन बाधाओं को दूर करके महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये कई कार्यनीतियाँ और योजनाएं प्रारंभ करने हेतु सौच विचार करना आवश्यक है। जवाहरात और गहने जैसा रेशम भी विलासित की वस्तु है, इसलिये भारतीय समाज के उच्च और मध्यम वर्ग से इसका समर्थन और संरक्षण करना होगा। पश्चिमी समाज के फैशनप्रिय शहरी कामकाजी महिलाओं के बीच भारत का हल्का रेशम लोकप्रिय हो रहा है, भारतीय रेशम को बढ़ावा देने हेतु रेशम उद्योग महिलाओं के लिये और महिलाओं द्वारा नारा लगाकर अभियान चलाना समय की मांग है।

सरकार को महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने और उन्हें अजीविका का एक स्थायी स्रोत प्रदान करने के लिये वस्त्र मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों के जरिये रेशम उद्योग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं -

4. 'सिल्क समग्र' के तहत महिला सशक्तिकरण

रेशम उत्पादन को मुख्य रूप से एक घरेलू गतिविधि के रूप में जाना जाता है, जिसे विशेषकर महिलाओं द्वारा अपनाया जाता है। लगभग 55: महिलाएं रेशम उत्पादन सम्बंधी मुख्य श्रृंखला (वेल्युचन) में जुड़ी हुई हैं।

“सिल्क समग्र” के तहत भारत सरकार ने 38500 एम.टी. कच्चे रेशम उत्पादन करने और वर्ष 2013-14 के 78.50 लाख रोजगारों के मुकाबले 100 लाख उत्पादक रोजगार (21.50 लाख अतिरिक्त रोजगार) को सृजित करने का लक्ष्य रखा है, इसके साथ ही रेशम उत्पादन में महिलाओं के लिये रोजगार 43.20 लाख से बदलकर वर्ष 2020 में 55 लाख के स्तर पर पहुंच जाने की आशा है।

5. “एक्ट ईस्ट” से जुड़ी पहल

भारत के प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पहल की तर्ज पर पुर्वोत्तर क्षेत्र में जीविका के अवसर सृजित करने के लिये वस्त्र मंत्रालय वर्ष 2014-15 से ही अपनी पुर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन क्षेत्र योजना (एन.ई.आर.टी.पी.एम.) के तहत 32 परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इसमें केन्द्र सरकार का योगदान 849 करोड़ रुपये का है। “खेत से कपड़े तक” की रेशन उत्पादन संबंधी मुख्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों (सेगमेंट) के जरिए ये परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इसमें प्रत्यक्ष तौर पर 60,000 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके तहत लगभग 45,000 महिला लाभार्थियों को कवर किया गया है।

6. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (म. कि. स. प.) -

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत छः राज्यों में रू. 7160.90 लाख की लागत पर बहुराज्यीय तसर परियोजनाओं को अक्टूबर 2013 से केन्द्रिय बोर्ड (कोरबा) (रू. 1794.81 लाख) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय (रू. 5366.15 लाख) द्वारा साझा किया। यह परियोजना 23 जिलों में लागू की गई जिसमें से विशेष तौर पर महिलाओं के लिये 36,000 स्थायी जीविका का सृजन कर रही है।

7. महिला नीति

रेशम संचालनालय के अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत शहतूती पौधेरुपित भूमि एक एकड़ अथवा आधा एकड़ का भोगाधिकार दिया गया है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के बचत समूह गठित किये गए हैं। साथ ही तसर क्षेत्र में कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में उत्पादित समस्त प्रकरण के रेशम कोकून की धागाकरण इकाईयों म.प्र. सिल्क फेडरेशन के अंतर्गत क्रियान्वित है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश संचालित समस्त रेशम धागाकरण इकाईयों ने शत प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं।

छत्तीसगढ़ रेशम के नाम में ब्रांडिंग के बाद सरगुजा में उत्पादित रेशम व तसर धागा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। महामाया सिल्क सरगुजा के ट्रेड मार्क के साथ यहाँ के रेशम व तसर धागा को हाथों हाथ लिये जाते साढ़े चार हजार से अधिक लोग सरगुजा में रेशम धागा के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसमें से 125 महिला समूह भी शामिल है।

8. रेशम की मदद में जनजातीय महिलाओं को सशक्त बना रही छ.ग. सरकार-

छ.ग. नें जनजातीय महिला कई बार तस्करी और अन्य प्रकार के शोषण का शिकार हो जाती है। अनेक जनजातियों वाले छ.ग. में साल में कई बार इस तरह की खबरें आती है। देश की आधी आबादी, महिलाओं के साथ अक्सर दमन, शोषण और उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामले सामने आते हैं। यह चिंतनीय है लेकिन सत्य है। शोषण और अधिकारों के उल्लंघन का शिकार होने वालों में सबसे ज्यादा जनजातीय और आदिवासी महिलाएं शामिल है। इंडिया टुडे के अनुसार भारत में जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। यह वजह है कि वे अत्याचार सहने के लिये मजबूर हैं। इस स्थिति को बदलने और राज्य में जनजातीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये छ.ग. सरकार ने उन्हें तसर रेशम उत्पादन और रेशमकीट को थ्रेड से हटाने में शामिल होने वाली प्रक्रिया के लिये प्रशिक्षित करने की पहल की है।

जशपुर जिले में स्वयं सहायता समूहों ने संबंधित महिलाओं को इसके लिये 45 दिन का प्रशिक्षण भी दिया है। तसर रेशम उत्पादन का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद महिलाओं को इसके उत्पादन की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। छ.ग. सरकार की यह पहल महिलाओं की आय का एक अच्छा स्रोत साबित हुआ है, जो इन्हे सशक्त भी बना रहा है।

इस पहल के बारे में ए. एन.आई. (।छप) से बात करते हुये यह ज्ञात हुआ कि जशपुर तेजी से राज्य के प्रमुख जिलों में से एक के रूप में उभर रहा है। तसर रेशम उत्पादन की यह परियोजना महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिये एक बेहतर विधि साबित हो रही है।

उन्होंने बताया कि “जश उद्यम ब्रांड” विकसित कर रहे हैं, जिसे ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से बिक्री के लिये पेश किया जायेगा। उन्होने बताया कि इस मिशन से 1200 से अधिक महिलाओं को फायदा हुआ है, जिसे देखते हुये छ.ग. सरकार अन्य जिलों में भी इसी तरह की पहल का विस्तार करने की योजना बना रही है।

क्षेत्र में रेशम उद्योग से जुड़कर हजारों परिवार संपन्न हो रहे हैं, दशकों पूर्व महज 20-25 महिलाओं द्वारा अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेशम केन्द्र में शुरू किए गए इस कार्य को देखकर आज अनेक गांव के लोगों द्वारा इस पर रुझान देखने को मिल रहा है। अब तक हजारों महिलाएं इसमें जुड़ चुकी है, इस काम में क्षेत्र के सींगीबहार, केरसई, अकरछार, भेलवां, जरोण्डाझरिया सहित अनेक ग्रामों के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं।

महिलाएं अपने घरेलू कार्य निपटाने के बाद खाली समय में केन्द्र पहुंचकर हंसी-मजाक के साथ अपनी सुविधानुसार ये कार्य निपटाती है और इतना कमा लेती है कि अच्छा खाना. कपड़ा सहित अनेक विलासिता की वस्तु क्रय कर सकती है।

सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रही है। हाल ही में ज्ञात हुआ इस क्षेत्र की महिलाएं समूह का गठन कर रेशम धागों से अपना व परिवार का जीवन संवार रही है। रेशम उद्योग में वे अब मजदूर से मालिक बन चुकी हैं। अनुमानतः एक समूह रेशम धागाकरण कार्य में हर माह करीब 45 हजार रुपये की आमदनी अर्जित कर रही है। अनेक ग्रामों तसर धागा उत्पादन ने जीविकोपार्जन के प्रमुख साधन के रूप में अपनी पहचान बना ली है। गांव में खेती, मजदूरी एवं अन्य उत्पादन ही अजीविका का प्रमुख साधन है।

9. सरकारी योजनाओं का महिलाओं की आय पर सकारात्मक प्रभाव

विभाग के सहयोग से शुरू में 20 महिलाओं ने मिलकर महिला धागाकरण स्व-सहायता समूह का गठन किया। जिन्हे मोटराइज्ड सह पैडल चलित रीलींग मशीन से धागाकरण का 2 माह का प्रशिक्षण दिया गया। समूह की महिलाओं द्वारा इस काम को बड़ी कुशलता के साथ करते हुये एवं उनकी रूची को देखते हुये जिला प्रशासन ने आईएपी (पू.च) योजना के अंतर्गत 2012 में केरसई में तसर धागाकरण इकाई की स्थापना की, जिससे महिलाएं अपने ही गांव में इस कार्य को स्वतंत्र रूप से स्थाई रोजगार के रूप में अपना सकें। योजना के तहत उन्हें रीलींग सेड एवं 15 मोटराइज्ड सह-पैडल चलित रीलींग एवं स्पिनिंग मशीन की स्थापना के साथ-साथ चक्रिय राशि दी गई, तब समूह में 20 महिलाएं धागाकरण कार्य से जुड़ी हुई थी। स्व-सहायता समूह की सदस्य प्रतिमाह नियमित बैठक कर कोसा क्रय एवं धागा विक्रय की जानकारी एवं धागा विक्रय से प्राप्त लाभांश का वितरण करते हैं। समूह की मेहनत एवं विभाग के सहयोग से महिलाओं ने कोसा धागाकरण कार्य को स्थाई रोजगार के साधन के रूप में अपना लिया है। विपणन महिलाएं समूह धागे का विपणन स्वयं करती है। इसके लिये स्थानीय व्यापारियों के द्वारा विधिवत आर्डर पर धागा तैयार करती है। धागाकरण का कार्य घर के नजदीक ही रीलींग शेड में हो जाता है। इससे महिलाओं को मजदूरी के लिये बाहर जाना नहीं पड़ता है।

10. आकड़ों का संग्रहण

विभाग में धागाकरण कार्य में कुल 1000 महिलाएं कार्यरत है, जिसमें से 10% अर्थात् 100 महिलाओं का चयन दैव निर्देशन प्रणाली के आधार पर लॉटरी विधि से किया गया है। ताकि सभी महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिल सके।

अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट होता है कि महिला वर्ग के इस उद्योग में अथक श्रम द्वारा प्रतिवर्ष रेशम धागा उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। तालिका 1 द्वारा इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

तालिका-1

वर्ष	उत्पादन (कि.ग्रा.)	वृद्धि/कमी
2018-19	742.865	-
2019-20	760.600	2.39% वृद्धि
2020-21	792.450	4.19% वृद्धि
2021-22	819.590	3.41% वृद्धि
2022-23	467.350	42.97% वृद्धि

स्रोत -कम्प्यूटराइज्ड प्रशासकीय प्रतिवेदन आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय।

तालिका 1 के द्वारा स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में 742 किलो 865 ग्राम रेशम धागा उत्पादन किया गया। वर्ष 2017-18 में 760 किलो 600 ग्राम (2.39: वृद्धि), वर्ष 2018-19 में 792 किलो 450 ग्राम (4.19: वृद्धि), वर्ष 2019-20 में 819 किलो 590 ग्राम (3.41: वृद्धि) उत्पादन हुआ। वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण रेशम धागा उत्पादन में काफी गिरावट आई तथा इस वर्ष रेशम धागा उत्पादन 467 किलो 350 ग्राम ही हुआ।

वर्ष 2019-20 की तुलना में 42.97% की कमी हुई, जो तुलनात्मक रूप से काफी कम है।

महिला समूह के अथक श्रम द्वारा रेशम धागा उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ महिलाओं की आय में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसे तालिका 2 द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

तालिका 2

वर्ष	आय (प्रतिवर्ष)	वृद्धि/कमी
2018-19	17,27,772.00 ₹.	-

2019-20	17,69,020.45 ₹.	2.39% वृद्धि
2020-21	18,93,305.38 ₹.	7.39% वृद्धि
2021-22	19,96,218.81 ₹.	5.44% वृद्धि
2022-23	10,86,970.98 ₹.	45.54% वृद्धि

स्रोत-कम्प्यूटर प्रशासकीय प्रतिवेदन आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय।

तालिका 2 के विश्लेषण द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रेशम धागाकरण के उत्पादन से महिलाओं की आय में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में वार्षिक आय 17,27,772.00 ₹., वर्ष 2017-18 में 17,69,020.45 ₹. (2.39% वृद्धि), वर्ष 2018-19 में 18,93,305.38 ₹. (7.03% वृद्धि), वर्ष 2019-20 में 19,96,218.81 ₹. (5.44% वृद्धि) हुई। वर्ष 2019-2019, 96,218.81. हसंक 2020-21 में कोरोना महामारी का प्रभाव रेशम उत्पादन क्षेत्र में भी पड़ा तथा वर्ष 2020-21 में महिलाओं की आय में गिरावट आई तथा इस वर्ष 10,86,970.98 ₹. (45.54% कमी) हुई।

मेसर्स एम.डी.सिल्क इण्डस्ट्रीज, जिला जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.) के प्रबंधक ने बताया कोरोना महामारी काल में 40% से अधिक बुनकरों की छटनी की गई तथा जिनमें 15% से अधिक महिला श्रमिक भी शामिल थी। इसका नकारात्मक प्रभाव महिलाओं की आय पर पड़ा।

11. निष्कर्ष

शोध द्वारा ज्ञात हुआ है कि रेशम निर्माण उद्योग में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने स्वात्मबल की भावना का विकास एवं महिलाओं में संगठित रहने की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ है। महिलाओं में वित्तीय अनुशासन की शिक्षा एवं परिवार में एकता एवं सशक्तिकरण को बल प्राप्त हुआ है। जिससे महिलाओं में दमन शोषण एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हाई है इस प्रकार सरकार की योजनाओं की सहायता से महिलाओं की भूमिका एवं योगदान को पूरी तरह सही परिक्षेत्र में रखकर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

इन योजनाओं के फलस्वरूप इस उद्योग में विपणन महिला समूह संगठित किये गये हैं जिससे स्थाई रोजगार को साधन के रूप में अपनाकर समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

इस विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि छत्तीसगढ़ में आज अनेक घरेलू उद्योग में महिलाओं की बाहुलता बढ़ी है। इससे ज्ञात होता है कि उनकी भूमिका श्रमिकों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में परिलिखित होती है। निकट भविष्य में महिलाओं का योगदान समाज में विकास के लिए एक प्रभावशाली स्रोत के रूप में स्थापित होगा।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक इकाईयों में स्त्री, पुरुष, श्रमिक अनुपात पर किए गए अध्ययन से सिद्ध हुआ है कि अनेक कार्यकलापों में निर्णय लेने में महिला श्रमिक वर्ग का पिछड़ापन उजागर हुआ है किन्तु तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा उनके आत्मबल में वृद्धि हुई है वे अब पुरुष श्रमिक वर्ग के समान स्थान रखती है। यह समानता के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

सिंह, रंजना: "हाथकरघा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के समस्याओं का समाज वैज्ञानिक विश्लेषण", 2016।

सिंह, नंदकिशोर: "पूर्वी उत्तर प्रदेश में हाथकरघा उद्योग", 1988।

तिवारी, मनीष: "हाथकरघा एवं कुटीर उद्योग में कार्यरत बुनकर की सामाजिक आर्थिक दशाओं का विश्लेषण वाराणसी चेतना के बुनकरों पर आधारित", 2022।

अग्रवाल, श्रवण कुमार: "हाथकरघा उद्योग में बुनकरों की आर्थिक स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन उत्तर प्रदेश में झांसी मंडल के विशेष संदर्भ में।" छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर।

मे. एम.डी. सिल्क इण्डस्ट्रीज, जिला-जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2015-16

राज्य दिव्या 2021 प्रपत्र।

त्रिपाठी, विश्वदीप 2022 प्रपत्र।

छत्तीसगढ़ी स्टोरी 2018 प्रपत्र।

आर.के. मीण/अर्चना - आलेख

आर.आर.एस./सी.एल. - आलेख

डॉ. वीरण्या गौडा - पत्रिका

बैजल किरण कश्यप - प्रपत्र

उप संचालक, रेशम विभाग

वस्त्र संचालय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

इंडिया टुडे

रमेश कुमार देवांगन